

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- PSFA/RHB/2013-14/ 61

दिनांक: 25/6/13

## कार्यालय आदेश

मण्डल में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की भावना कों देखते हुए उत्तराखण्ड में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा की सहायता के लिये मण्डल के सभी कर्मचारियों/ अधिकारियों के माह जून 2013 के वेतन से एक दिवस का वेतन (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं विशेष वेतन को जोड़कर) काटकर राशि आवासन मण्डल के मुख्यालय कों भिजवाई जावेगी तथा मुख्यालय के लेखाधिकारी भुगतान द्वारा सम्पूर्ण राशि "मुख्यमंत्री सहायता कोष" में जमा करवाई जावेगी।

समस्त कर्मचारियों/ अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपना सम्पूर्ण सहयोग इस कार्य हेतु प्रदान करेंगे।



(डा. आर.वेंकटेश्वरन)

आवासन आयुक्त

**प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/ आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता/सचिव/ वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. समस्त उप आवासन आयुक्त जयपुर- प्रथम, द्वितीय, तृतीय /कोटा /उदयपुर / जोधपुर-प्रथम, द्वितीय, /बीकानेर/अलवर, राजस्थान आवासन मण्डल।
4. समस्त आवासीय अभियन्ता खण्ड -.....
5. रक्षित पत्रावली
6. नोटिस बोर्ड मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।



(डा. आर.वेंकटेश्वरन)

आवासन आयुक्त